UPLK010028702017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष परीक्षण सं0 83 / 2017

सरकार बनाम मनोज कुमार आदि

अ0सं0 395 / 2016
धारा–498ए,323,504 भा0द0सं0 तथा
धारा–3(2)5 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–सरोजनीनगर, लखनऊ।

18–06–2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त मनोज कुमार यादव व श्रीमती माया मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त मनोज कुमार यादव व वादिनी सीमा रावत विधिक रूप से व्याहता है। ऐसा ही बयान पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा सीमा रावत ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि उसका विवाद दिनांक 05.02.2014 को अभियुक्त मनोज कुमार यादव के साथ सम्पन्न हुआ था।

इस संबंध में भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार स्थापित है कि यदि दोनों पति–पत्नी है ओर वे व्यस्क है तो उनके मध्य धारा 376 व 377 भा0दं0सं0 लागू नहीं होगी तथा इसी प्रकार दोनों पति–पत्नी है और एक ही घर में रह रहे है तो उसे सदोष परिरोध नहीं माना जायेगा। ऐसे दशा में आरोप दिनांकित 01.08.2017 अभियुक्त मनोज कुमार यादव के विरूद्ध धारा 498ए, 323, 504 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(X) एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट में परिवर्तित किया जाता है।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 21.07.2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010028702017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष परीक्षण सं0 83 / 2017

सरकार बनाम मनोज कुमार आदि

अ0सं0 395 / 2016
धारा–498ए,323,504 भा0द0सं0 तथा
धारा–3(2)5 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–सरोजनीनगर, लखनऊ।

परिविर्धित आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त मनोज कुमार यादव को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमः यह कि दिनांक 05.02.2014 को विवाह के बाद भिन्न–भिन्न तिथियों व समय पर आपने वादिनी मुकदमा सीमा रावत जो कि अनुसूचित जाति की सदस्या है, के पति होते हुए उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया, इस प्रकार अपने भा0दं0सं0 की धारा 498ए के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि विवाह के पश्चात भिन्न भिन्न तिथियों पर आप अभियुक्त मनोज कुमार यादव द्वारा अपने आवास स्थित कांशीराम कालोनी, दरोगाखेड़ा में वादिनी सीमा रावत को मारपीट कर चोटें पहुंचायी। इस प्रकार ने भा0दं0सं0 की धारा 323 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि विवाह के पश्चात भिन्न भिन्न तिथियों पर आप अभियुक्त मनोज कुमार यादव द्वारा अपने आवास स्थित कांशीराम कालोनी, दरोगाखेड़ा में वादिनी सीमा रावत को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त मनोज कुमार यादव द्वारा अपने आवास स्थित कांशीराम कालोनी, दरोगाखेड़ा में वादिनी सीमा रावत को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए, उसे जातिसूचक गालियां देकर अपमानित व अभित्रस्त किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा–3(1)(X) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 18–06–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 18–06–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127